किसके संरक्षण में दी जा रही हरियाली की बलि

राजस्थान यूनिवर्सिटी में चल रहा हरे पेड़ों को खत्म करने का खेल। कई पेड़ों की छाल उतारी। एक गेट भी निकाला। अंदर जाने पर पता चला के और भी कई पेड़ हैं जिनकी पिछले समय छाल उतारी गई थी और अब मात्र ठूंठ ही बचे हैं। आखिर किसके संरक्षण में हो रहा है ये सब और यूनिवर्सिटी प्रशासन क्यो खामोश है? फोटो : दिनेश भारद्वाज

ड्रोन तकनीक का उपयोग माइनिंग सेक्टर के लिए लाभकारी : टी.रविकान्त

माइनिंग सेक्टर में वोल्यूमेट्रिक आकलन और खनिज प्रबंधन में ड्रोन तकनीकों के उपयोग पर बुधवार को संवाद किया गया। इससे पहले प्रमुख शासन सचिव माइन्स टी. रविकान्त, नोडल अधिकारी एमपी मीणा और सह प्रभारी संजय सक्सेना ने दीप प्रज्ज्वलन कर संवाद कार्यक्रम शुरू किया।

जयपुर। माइनिंग सेक्टर में वोल्यूमेट्रिक आकलन और खनिज प्रबंधन में ड्रोन तकनीकों के उपयोग पर बुधवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य सरकार, तकनीकी विशेषज्ञों और माइनिंग लीजधारकों के प्रतिनिधियों के बीच सीधा संवाद कायम किया गया। प्रमुख शासन सचिव माइन्स टी. रविकान्त ने कहा कि तकनीक और नई व्यवस्था को आत्मसात करने में शुरुआत में भ्रान्तियां और जिज्ञासाएं होती है और उसी को समझने और दूर करने के लिए सरकार द्वारा यह साझा मंच उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि वोल्यूमेट्रिक एसेसमेंट और खनिज प्रबंधन में ड्रोन तकनीक का उपयोग सरकार और लीजधारक दोनों के लिए लाभकारी होने के साथ ही काम को आसान करने का माध्यम है। विचार विमर्श में आये सुझावों का गुणावगुण के आधार पर अध्ययन कर एसओपी जारी की जाएगी।

टी. रविकान्त ने कहा कि शुरुआत में नई व्यवस्था में हमें खामियां या भ्रांतियां ही दिखाई देती है जिनका आपसी विचार मंथन से निराकरण और समाधान संभव है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में माइनिंग सेक्टर में व्यवस्था के सरलीकरण और प्रक्रियाओं को आसान करने का सिलसिला लगातार जारी है। देखा जाए तो यह एक तरह से नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में माइनिंग सेक्टर में हमें और सुधार व सरलीकरण देखने को मिलेगा।

■ **'तकनीक के उपयोग से लीजधारकों के लिए होगा काम आसान'**

रविकान्त ने बताया कि ड्रोन कंपनियों और विशेषज्ञों को बुलाने का कारण भी यही है कि वोल्यूमेट्रिक एसेसमेंट और ड्रोन के उपयोग के संबंध में समझा जा सके, शक शुबहे दूर कर सके और लीजधारक तकनीक के उपयोग से और अधिक आसानी से काम कर सकें। हमें समझना होगा कि तकनीक हमारे काम को आसान करने के लिए है और उसमें समयानुकूल बदलाव होता रहता है।

एमडी आरएसएमएम भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि वोल्यूमेट्रिक एसेसमेंट और ड्रोन सर्वे से आने वाले समय में माइनिंग सेक्टर को लाभ मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि अच्छे बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। निदेशक माइंस दीपक तंवर ने कहा कि खनिज लीज धारकों द्वारा वार्षिक रिटर्न के साथ प्रस्तुत करना होगा और एक बार शुरु करने के बाद आगे के लिए लीजधारकों को भी सुविधाजनक हो जाएगा। तंवर ने बताया कि विभाग द्वारा जारी होने वाली एसओपी स्पष्ट, पारदर्शी और सरलीकृत होगी।

खनन प्रतिनिधियों ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि जब कोई नई व्यवस्था आती है तो घबराहट और आशंकाएं भी उसके साथ आती है। सरकार ने उन्हें दूर करने की अच्छी व सकारात्मक पहल की है।

अवैध बजरी खनन के मुद्दे पर सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया तो विपक्ष ने किया वाक आउट

शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्थगन प्रस्ताव के तहत अवैध बजरी खनन का मुद्दा उठाया

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। विधानसभा में अवैध बजरी खनन के मुद्दे पर सरकार की तरफ से जवाब नहीं देने को लेकर विपक्ष कांग्रेस के सदस्यों ने बुधवार को सदन से बहिर्गमन किया।

शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्थगन प्रस्ताव के तहत अवैध बजरी खनन का मुद्दा उठाते हुए इस पर सरकार से जवाब देने की मांग की लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आने पर एक बार सदन में शोर शराब एवं हंगामा हुआ और बाद में कांग्रेस के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।

इससे पहले जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध बजरी खनन की घटनाएं घट रही है लेकिन डबल इंजन की गहरी नींद में सो रही है। सरकार के रवैये पर उच्च न्यायालय को भी टिप्पणी करनी पड़ी कि सीबीआई का सहयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर अवैध खनन नहीं संभल रहा है तो सीआरपीएफ बुलाओ, दूसरे राज्यों से मदद लो। इस पर सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य खड़े हो गए और दोनों तरफ से बोलने पर सदन में शोरशराबा और हंगामा हुआ। इस दौरान जूली ने आरोप लगाया कि इसी सरकार के मंत्री ने भी अवैध खनन को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं और कई विधायकों ने इस मुद्दे को सदन में उठा चुके हैं लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

जूली ने हंगामे के बीच सरकार से जवाब देने की मांग की लेकिन जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।

बहिर्गमन के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस पार्टी के शासन में खनन माफिया हावी थे, पुलिस रोज पिटती थी वे हम पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस को पहले अपने घर में झांकना चाहिए। उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वे बिना कारण हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही में कांग्रेस हमेशा विरोध ही करती है। बिना किसी आधार के सदन की कार्रवाई बाधित करना उनकी आदत बन गई है।

श्री प्रेमभाया महोत्सव में परकोटे में बहेगी भक्ति की रस धार

जयपुर। परंपरागत रूप से आयोजित होने वाला ढूंढाड़ की विरासत श्री प्रेमभाया महोत्सव के उपलक्ष में 85 वां त्रिदिवसीय भक्ति संगीत समारोह (शीतलाष्टमी) 21 मार्च से 23 मार्च तक युगल कुटीर, जयलाल मुंशी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर में श्री प्रेमभाया मंडल समिति द्वारा मनाया जाएगा।

इस अवसर पर 21 मार्च को दिन में श्री प्रेमभाया सरकार का शंखनाद के साथ वैदिक मंत्रोचारण से पंचामृत अभिषेक करा नवीन पोशाक धारण कराई जाएगी व आह्वान पद के साथ बधाई पद गाये जाएंगे तत्पश्चात रात्रि 8 बजे से संपूर्ण रात्रि भक्ति संगीत रहेगा जिसमें देश प्रदेश के प्रमुख गायक, वादक अपनी हाजिरी लगाएंगे। इस अवसर पर मुख्य द्वार पर शहनाई व नंगारा वादन होगा। जयलाल मुंशी के रास्ते में भक्तों द्वारा घर-घर एल ई डी लाइट से रोशनी की गई है।

समिति के अध्यक्ष विजय किशोर शर्मा ने बताया कि इस त्रिदिवसीय भक्ति संगीत समारोह में 21 से 22 मार्च को रात्रि 8 बजे से संपूर्ण रात्रि भक्ति संगीत रहेगा व 22, 23 मार्च को दिन में महिला मंडलों द्वारा भक्ति संगीत, 23 मार्च को 7 बजे नगर संकीर्तन युगल कुटीर से प्रारंभ होगा जो कि शहर के प्रमुख मार्ग से होता हुआ प्रात: 7 बजे सत्संग स्थल पर पहुंचकर महोत्सव संपन्न होगा। महोत्सव में प्रमुख गायकों में राकेश शर्मा अजान प्रकाश दास महाराज, विजय भैया, उमा लहरी, कुमार गिर्राज, परवीन मिर्जा, हीना सेन, सन्नी चक्रधारी, अमित नामा, गोपाल सिंह राठौड़, गोपाल सेन, ईश्वर शरण शास्त्री, महेश परमार, तुषार शर्मा, शालिनी शर्मा सहित अन्य गायक व वादक अपनी हाजिरी लगाएंगे।

राजस्थान भू-जल प्राधिकरण विधेयक 2024 को फिर प्रवर समिति को भेजा

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। विधानसभा में बुधवार को प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक-2024 को फिर प्रवर समिति को भेज दिया गया।

■ **जूली ने कहा कि इस विधेयक में किसान और इंडस्ट्री के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पानी के अंदर प्रदूषण भी फेल रहा है**

■ **जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि पेयजल एवं कृषि भूजल उपयोग के लिए कोई अनुमति नहीं लेनी होगी।**

विधेयक को दूसरी बार प्रवर समिति को भेजने से पहले इस पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि इस विधेयक पर विधानसभा सदस्यों ने चर्चा की और अपने सुझाव दिए हैं। ऐसे प्राधिकरण का गठन केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के रुप में पहले से हो चुका हैं और इसमें शर्ते पहले से ही लगी हैं। यह विधेयक यहां इसलिए लाया गया कि जो अनुमति केन्द्र से लेनी पड़ती थी अब इसके लागू होने पर यह अनुमति यहां ही मिल सकेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग लगाने के समय जो अनुमति आदि की दिक्कत दूर करने के लिए इसे लाया गया। उन्होंने कहा कि इसमें व्यक्तिगत पानी के लिए कोई अनुमति की जरुरत नहीं हैं।

प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि पेयजल एवं कृषि भूजल उपयोग के लिए कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। उन्होंने कहा कि नये बांध भी बनाये जायेंगे। जलवायु बदलती जा रही है और वर्ष 1984 में 25 प्रतिशत दोहन बढकर 150 प्रतिशत हो गया हैं। नदियां साल भर नहीं चलती हैं और केवल एक चम्बल नदी है जो लगातार चलती है बाकी वर्षा के बाद सब सूख जाती है। उन्होंने कहा कि इसमें विधेयक में कई प्रावधान किए जायेंगे ताकि लोगों को अनुमति के लिए ज्यादा चक्कर नहीं लगाना पड़े। सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिए हैं और इस विधेयक को पुन: विचार के लिए प्रवर समिति के लिए रखते है। उन्होंने कहा कि अच्छा क्या हो सकता हैं वे सुझाव दे ताकि यह विधेयक जनता के हित में रहे।

इससे पहले इस पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इस विधेयक में किसान और इंडस्ट्री के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पानी के अंदर प्रदूषण भी फेल रहा है। सतही जल की गहराई और नीचे जा रही है हालत खराब हैं लेकिन जिस मंशा के तहत इस विधेयक को लाया गया है वह गलत हैं। जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा राजस्थान में वर्षा होती है लेकिन पानी का संचय नहीं होता। संचय नहीं होने की वजह से हालात बिगड़ते है और यह विधेयक जनता के साथ खिलवाड़ करने वाला विधेयक हैं।

राज्यपाल ने किया सुनीता विलियम्स का अभिनंदन

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के 9 माह बाद अंतरिक्ष से वापस लौटने पर प्रसन्नता जताते हुए वंदन, अभिनंदन किया है।

उन्होंने कहा कि सुनीता विलियम्स भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व की गौरव है। वह नारी शक्ति की प्रतीक हैं। अंतरिक्ष में इतने दीर्घ समय तक अपने साहस, धैर्य, निर्भीकता से रहकर उन्होंने संपूर्ण जगत को गौरवान्वित किया हैं।

कांग्रेस राज में पनप रहे थे बजरी माफिया, भजनलाल सरकार ने पहुंचाए सलाखों के पीछे : गोदारा

जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेसवार्ता कर कांग्रेस पार्टी की झूठ फैलाने की नीति को उजागर किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस राज में पनपे खनन माफिया राज की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा इन पर की गई प्रभावी कार्रवाई को बताया। मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता इन दिनों अवैध बजरी खनन को लेकर ना केवल सदन में बल्कि प्रदेशभर में अभियान चलाकर झूठ फैला रहे है। जबकि प्रदेश में अवैध खनन और खनन माफियाओं को पनपाने का काम कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने ही किया था। जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खनन माफियाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से तकनीक का इस्तेमाल किया और कांग्रेस की तुलना में कई गुणा अधिक मुकदमें दर्ज किए, अवैध माल वाहन जब्त किए और अवैध बजरी सीज की।

बगरू विधायक कैलाश वर्मा ने कांग्रेस राज में पनपे जंगलराज को मीडिया के सामने रखते हुए बताया कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के राज में ना तो उनका गृह जिला सुरक्षित था ना ही राजधानी। राजधानी में एक बुजुर्ग को बजरी माफियाओं ने कुचलकर मार दिया, वहीं रिंगरोड क्षेत्र में अवैध बजरी खनन की दर्जनों शिकायतें मिली, लेकिन गहलोत ने कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, गहलोत राज में सांगोद से तत्कालीन विधायक भरत सिंह ने गहलोत को पत्र लिखा था कि आपका खनिज मंत्री प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया है, खनन माफिया पर नियंत्रण करना है तो उसे बर्खास्त करें। कोटा क्षेत्र में तो हाईवे पर खाया रे खाया भाया ने खाया के बोर्ड भी लग गए थे। इससे बौखलाए गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए कहा कि अवैध खनन नहीं रुक रहा, मुझे वीसी करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, विधायक ने मुंडन करवाकर यहां तक कह दिया था कि गहलोत का ई मान मर चुका है।

अधिकारियों को नहीं मिलेगा एक से अधिक खरीद केन्द्र का चार्ज : दक

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य सरकार की भावना है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम मिले। उन्होंने कहा कि अप्रेल माह से शुरु की जा रही सरसों-चना खरीद की सभी तैयारियां इस प्रकार की जाएं कि किसानों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े और उन्हें अच्छा महसूस हो।

सहकारिता मंत्री बुधवार को नेहरू सहकार भवन में वीसी के माध्यम से सरसों-चना खरीद की पूर्व तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैण्डलिंग और ट्रांसपोर्ट के टेंडर के प्रावधानों में शिथिलता इसलिए दी गई है ताकि प्रक्रिया में अच्छे लोग शामिल हों और किसानों को अपनी उपज बेचान के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दक ने कहा कि यदि लगातार किसी ठेकेदार की शिकायत मिलती है तो उसे डिबार करने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने अधिकारियों को टेंडर फेल होने की स्थिति में दूसरा विकल्प तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभारी अधिकारी पूरे समय खरीद केन्द्र पर मौजूद रहे और उसकी पूरी जिम्मेदारी निर्धारित हो, इसके लिए एक अधिकारी को एक से अधिक खरीद केन्द्र का चार्ज नहीं दिया जाएगा।

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने सरसों-चना खरीद की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल भी मौजूद थीं।

दक ने निर्देश दिए कि उप रजिस्ट्रार खरीद केन्द्रों का जायजा लेकर वहां टेंट, छाया, पानी आदि की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। साथ ही, ठेकेदार के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसके पास खरीद के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। उन्होंने कहा कि खरीद केन्द्रों पर दलालों द्वारा माल तोलने की समस्या नहीं होनी चाहिए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि चूंकि बाजार भाव की तुलना में समर्थन मूल्य की दरें आकर्षक हैं लिहाजा खरीद केन्द्रों पर बड़ी मात्रा में सरसों-चना बिक्री के लिए आएंगे। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन की संख्या के अनुरूप अतिरिक्त खरीद केन्द्र खोले जाएं। उन्होंने कहा कि खरीद का लक्ष्य पूरा हो, इसके पूरे मनोयोग से प्रयास किए जाएं।

■ **'रजिस्ट्रेशन की संख्या के अनुरूप प्रदेश में खोले जाएं अतिरिक्त खरीद केन्द्र'**

सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद केन्द्रों वाली क्रय-विक्रय एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के साथ 25 मार्च से पूर्व बैठक कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। खरीद केन्द्रों पर गुणवत्ता मापदण्डों का बैनर लगाया जाए। साथ ही, इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए कि खरीद केन्द्रों पर किसानों को उपज बेचान में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 अप्रेल से खरीद प्रक्रिया शुरू करने के अनुरूप समय पर सभी तैयारियां पूरी की जाएं।

सांचौर में नियम विरुद्ध जारी पट्टों पर की जाएगी कार्रवाई : खर्रा

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। नगरीय विकास राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि नगरपालिका सांचौर में पूर्ववर्ती सरकार के समय में नियम विरुद्ध जारी किये गए पट्टों की जांच की जाएगी और इसमें गलत पाए जाने वाले पट्टों को निरस्त किया जाएगा तथा सम्बंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। खर्रा प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गत सरकार के समय कराये गए अविवेकपूर्ण कार्यों की जांच कराए जाने की घोषणा के तहत इन कार्यों की जांच को भी शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में सांचौर नगरपालिका में सात हजार छह पट्टे जारी किये गए, जिनसे 10 करोड़ 76 लाख 96 हजार 221 रुपए प्राप्त हुए। इनमे कृषि भूमि के तीन हजार 891, 69-क नियमन के दो हजार 813, खांचा भूमि के तीन, कच्ची बस्ती नियमन के दो एवं स्टेट ग्रांट एक्ट के 297 पट्टे जारी किये गए।

इससे पहले विधायक जीवाराम चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि नगर पालिका सांचौर में गत पांच वर्षों में समय-समय पर प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत जारी किये गये परिपत्रों एवं आदेशों के आधार पर पट्टे जारी किये गये हैं। विभिन्न शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत पर परिषद द्वारा जांच कर 13 पट्टों को निरस्त किया गया है।

'अतिक्रमियों पर होगी कार्रवाई'

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि माण्डल विधानसभा क्षेत्र की तहसील-हमीरगढ़ स्थित ग्राम पंचायत मंगरोप की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मीणा प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा अतिक्रमियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जाती है और अतिक्रमित भूमि पर खड़ी फसल को दस दिन में निलाम कर राशि वसूली जाएगी तथा अतिक्रमित भूमि को भौतिक रूप से मुक्त कराया जाएगा।